अध्याय-7 अनुश्रवण और मूल्यांकन

7.1 प्रस्तावना

योजना के अनुश्रवण तथा पर्यवेक्षण का राष्ट्रीय, राज्य, जिला, खंड तथा ग्राम पंचायत स्तरों पर पंच-स्तरीय ढांचा था जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

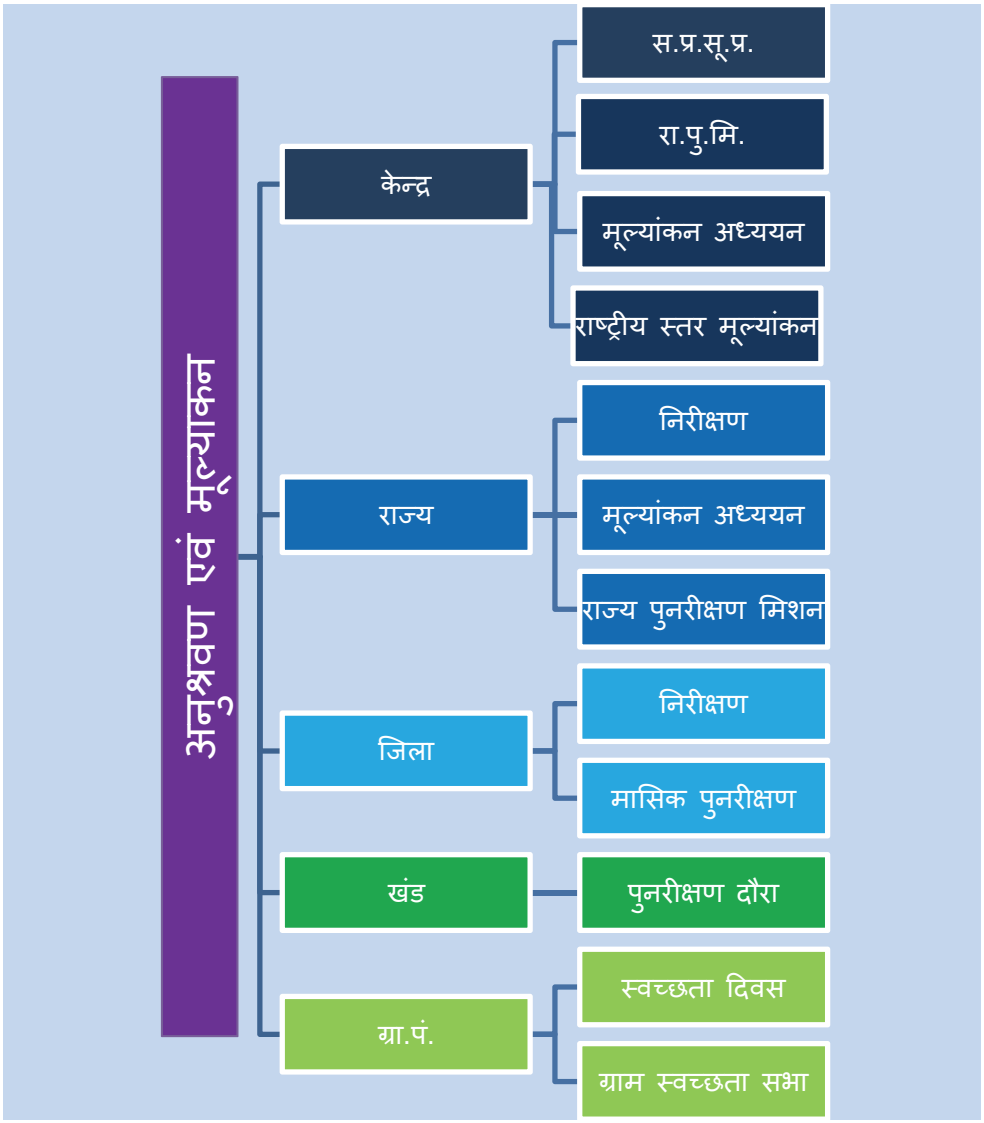

7.2 निधियों का उपयोग न होना

मंत्रालय म. एवं उ. अन्य प्रभारों के अंतर्गत अनुमोदित निधियों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने में विफल रहा। 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान शीर्ष के अंतर्गत दर्ज ₹ 22.40 करोड़ के व्यय के प्रति मंत्रालय म. एवं उ. के अंतर्गत आवृत गतिविधियों पर केवल ₹ 0.32 करोड़ का ही उपयोग कर सका। शेष ₹ 22.08 करोड़ की राशि का निर्मल ग्राम पुरस्कार के प्रशासन से संबंधित अन्य गतिविधियों जैसे ग्राम पचायतों के भौतिक सत्यापन हेतु एजेसिंयों को भुगतान करने की ओर विपथन कर दिया था। निधियों का कम उपयोग करने से योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष उपलब्धियां प्राप्त करने पर प्रभाव पड़ा जिसकी नीचे चर्चा की गई है।

मंत्रालय ने बताया कि नि.ग्रा.पु. हेतु ग्राम पंचायतों का सत्यापन करना अनुश्रवण कार्य का एक भाग था तथा इसके ऊपर खर्च की गई राशि को विपथन के रूप में नहीं समझा जा सकता।

मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इस प्रकार के खर्चों के लिए के एक पृथक बजट शीर्ष "नि.ग्रा.प.-अन्य प्रभार" संचालित किया जा रहा था तथा "नि.ग्रा.प.-अन्य प्रभार" के अंतर्गत उपलब्ध बजट से अधिक भौतिक सत्यापन पर किया गया व्यय अन्य बजट शीर्षो जैसे 'म. एवं उ.' 'मानव संसाधन विकास' तथा 'सू.शि.सं.' को प्रभारित नेमी प्रकार का था।

7.3 समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (स.प्र.सू.प्र.)

अनुश्रवण हेतु दिशानिर्देशों के अनुसार सभी परियोजना जिलों को स.प्र.सू.प्र पर माह के दौरान की गई मासिक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

को आगामी माह की 15 तारीख तक अपलोड करना अपेक्षित था तथा एक वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट मंत्रालय को पत्र द्वारा प्रस्तुत की जानी थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि ऑनलाइन प्राप्त डाटा की विश्वसनीयता सत्यापित करने के लिए मंत्रालय में कोई प्रणाली नहीं थी। मंत्रालय वार्षिक निष्पादन रिपोर्टों के साथ मिलान करके इसकी विश्वसनीयता भी सुनिश्चित नहीं कर रहा था। परिणामत: प्रत्यक्ष प्रगति स.प्र.सू.प्र. पर बहुत अधिक सूचित की गई थी। मंत्रालय की स.प्र.सू.प्र. पर उपलब्ध आंकड़ो के विभिन्न सैटों के बीच व्यापक अंतर थे। उदाहरणार्थ जिलों द्वारा सूचित योजना घटकों की कवरेज ग्रा.पं. (फार्मेट-एफ5) द्वारा सूचित कवरेज की तुलना में बहुत अधिक थी। इसकी संक्षिप्त स्थिति निम्न तालिका-7.1 में दी गई है:

तालिका-7.1: जिला मा.प्र.रि. तथा ग्रा.पं. मा.प्र.रि में अंतर

घटक	उपलब्धि		अंतर	
	जिला मा.प्र.रि	ग्रा.पं.मा.प्र.रि	संख्या	*प्रतिशत*
ग.रे.नी. शौचालय	5,24,53,615	3,06,46,776	2,18,06,839	71.15
ग.रे.उ. शौचालय	4,49,55,539	2,46,80,794	2,02,74,745	82.14
विद्यालय शौचालय	1345,196	5,31,373	8,13,823	153.15
आंगनवाड़ी	4,72,827	2,55,993	2,16,834	84.70
स्वच्छता परिसर	27,901	10,176	17,725	174.18

[स्रोत: पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय]

उसी तरह, रिपोर्ट जैसे जनगणना 2011, मंत्रालय का आधार रेखा सर्वेक्षण (वर्ष 2012-13) तथा रा.न.स.का. रिपोर्ट की तुलना में मंत्रालय के स.प्र.सू.प्र. में प्रत्यक्ष प्रगति के आंकड़ों के विभिन्न सैटों की तुलना में भिन्नताएं थी जैसाकि नीचे तालिका 7.2 मे दर्शाया गया है:

तालिका 7.2 प्रत्यक्ष प्रगति के आंकड़ों में भिन्नताएं

वर्ष	शौचालयों तक पहुँच	
2011	जनगणना 2011-32.70 %	स.प्र.सू.प्र.-62.26% (व्य.घ.शौ.)
2012-13	आधार रेखा सर्वेक्षण- 40.35 %	स.प्र.सू.प्र.-72.88% (व्य.घ.शौ.)
2012-13	आर.रे.स. व्य.घ.शौ. 6.91 करोड़	स.प्र.सू.प्. व्य.घ.शौ- 9.16 करोड़
2013	रा.न.स.का-40.60 %	स.प्र.सू.प्र.-72.88% (व्य.घ.शौ.)

[स्रोत: जनगणना 2011, रा.न.स.का. रिपोर्ट तथा पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

इसके अतिरिक्त आंकड़ों में वास्तविक भिन्नताएं अधिक हो सकती हैं क्योंकि जनगणना 2011, आधार रेखा सर्वेक्षण, रा.न.स.का. द्वारा सूचित स्वच्छजल कवरेज के आंकड़ों में वे परिवार जिनकी किसी प्रकार के शौचालयों में पहुँच थी और ऐसे परिवार जहाँ शौचालयों का योजना में हस्तक्षेप किए बिना निर्माण किया गया था भी सम्मिलित किए गए थे लेकिन मंत्रालय के स.प्र.सू.प्र के आंकड़ों में योजना के अंतर्गत निर्मित व्य.घ.शौ. की प्रगति ही दर्शायी जा रही थी।

मंत्रालय गलत तथा अधिक बताने वाले इस तथ्य से अवगत था तथा इसका जुलाई 2014 में परिचालित व्य.वि.सं.[1] के ड्राफ्ट ज्ञापन में भी विशेष उल्लेख किया गया था। लेकिन अंतर के मिलान हेतु कभी कोई प्रयास नहीं किया गया।

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में पाया गया था कि विभिन्न राज्य[2] भी क्षेत्रीय आंकड़ों को आवधिक रूप से अभिपुष्ट करने में विफल रहे तथा

---

1 व्यय वित्त समिति

2 आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), अरूणाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल

स.प्र.सू.प्र. आंकड़ों की विश्वसनीयता को मासिक प्रगति रिपोर्टों (भा.प्र.रि.) के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों से मिलान सुनिश्चित नहीं किया गया था।

व्य.घ.शौ. (ग.रे.नी./ग.रे.उ.) तथा सांस्थानिक शौचालयों के संबंध में लक्ष्य तथा उपलब्धियों के मंत्रालय के पास उपलब्ध आंकड़ों तथा कुछ राज्यों[3] में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान पाए गए वास्तविक आंकड़ों में अंतर **अनुबंध 7.1** में दिए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि सू.प्र.सू.प्र. पर आंकड़े राज्य सरकार द्वारा उचित सत्यापन तथा प्रमाणन करने के पश्चात ही अपलोड किए गए थे। मंत्रालय ने यह भी बताया कि डाटा का मिलान परियोजना निरीक्षणों के दौरान किया जा रहा था। तथापि आंकड़ों की सच्चाई सुनिश्चित करने के लिए उनके मिलान करने से संबंधित कोई प्रलेख रिकार्ड में नहीं पाए गए थे।

सं.स्व.अ./नि.भा.अ. के वर्तमान डिजाईन में ग्रामीण आबादी में वृध्दि या कमी अथवा पुराने शौचालयों या अब प्रयोग में न आने वाले या समाप्त शौचालयों सहित पूर्व स्थिति में लौट गए परिवारों की संभाव्यता का पता लगाने के लिए कोई तंत्रविधि नहीं है।

विभिन्न घटकों के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण, उनके उपयोग तथा पूर्व स्थिति में लौट जाने के आंकड़े प्राप्त करना गंभीर मुद्दे हैं। स.प्र.सू.प्र. (समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली) से प्राप्त आंकड़े गंभीर डाटा सत्यनिष्ठा समस्याओं से ग्रस्त हैं। डाटा की मजबूत सटीकता सुनिश्चित करने के

[3] अरूणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मणिपुर, ओडिशा, पंजाब तथा त्रिपुरा।

लिए विभिन्न स्तरों पर डाटा का सत्यापन, बहु स्तरीय जांच करना तथा मंत्रालय द्वारा निरन्तर अनुश्रवण करना अपेक्षित था जोकि नदारद था।

7.4 राज्य स्तर पर मूल्यांकन अध्ययन

योजना दिशानिर्देशों में राज्य/सं.शा.क्षे. सं.स्व.अ. के कार्यान्वयन पर आवधिक मूल्यांकन अध्ययन करना प्रदत्त करेंगे। राज्यों/सं.शा.क्षे. द्वारा इन मूल्याकन अध्ययनों में किए तथा भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से किए गए समवर्त्ती मूल्यांकन में की गई अभियुक्तियों के आधार पर उपचारी कार्रवाई की जानी चाहिए।

यह पाया गया था कि योजना के कार्यान्वयन पर 17 राज्यों[4] ने कोई मूल्यांकन अध्ययन नहीं किया था।

तथापि, बिहार, कर्नाटक तथा केरल में मूल्यांकन अध्ययन स्वंतत्र एजेंसियों द्वारा किए गए थे।

7.5 राज्य स्तर पर अनुसंघान अध्ययन

योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित है कि अनुसंधान संस्थानों, संगठनों तथा प्रमाणित पूर्व रिकॉर्ड सहित गै.स.सं. को ग्रामीण क्षेत्रों में मानव मलमूत्र अपशिष्ट निपटान प्रणाली की वर्तमान तकनीक का अध्ययन भी शामिल करना चाहिए। अनुसंधान/अध्ययन के परिणाम से तकनीक को सुधारना इसको अधिक समर्थ बनाना तथा विभिन्न भू-हाइड्रोलोजिक्ल स्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्यावरणीय सुरक्षित बनाना चाहिए।

---

[4] आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित) गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा पश्चिम बंगाल।

यह पाया गया था कि 10 राज्य[5] ने अनुसंधान अध्ययन करने के लिए किसी एजेंसी को कार्य नहीं सौपा था। महाराष्ट्र में दो गड़ढा शौचालयों के डिजाइन पर अनुसंधान के अतिरिक्त अनुसंधान अध्ययन नहीं किए गए थे।

7.6 समवर्ती अनुश्रवण तथा मूल्यांकन

योजना-दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य (राज्यों) में सं.स्व.अ./नि.भा.अ. परियोजनाओं के एक ग्रुप के प्रगति पुनरीक्षा/अध्ययन के कार्यान्वयन की जिम्मेवारी भारत सरकार द्वारा ली जा सकती है। अधिकारियों/व्यावसायिकों की एक बहु-एजेंसी टीम विशेष संदर्भ सहित पुनरीक्षा करने के लिए गठित की जाएगी। इस प्रकार की पुनरीक्षाएं, उनमें की गई अभ्युक्तियों के आधार पर समय पर उपचारी कार्रवाई करने में सहायक सिद्ध होती।

मंत्रालय ने कोई समवर्ती मूल्यांकन या कार्यान्वयन प्रगति समीक्षा नहीं की थी। यह बताया गया था कि राष्ट्रीय स्तर पर समवर्ती मूल्यांकन अध्ययन करने की प्रक्रिया अंतिम रूप दिया जा रहा था। यह भी सूचित किया गया था कि राज्य में नि.भा.अ. परियोजनाओं के समूह के लिए कार्यान्वयन प्रगति पुनरीक्षा/अध्ययन राष्ट्रीय स्तर मॉनीटरों द्वारा किया गया था। एक जिले की पुनरीक्षा करने के लिए एक एजेंसी को कार्य दिये जाने के अतिरिक्त इस उद्देश्य हेतु बहु एजेंसी टीमों का गठन नही किया गया था।

---

[5] आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

7.7 राष्ट्रीय पुनरीक्षण मिशन

योजना के दिशानिर्देशों में राष्ट्रीय स्तर पर पुनरीक्षा मिशन का प्रावधान है जिन्हे राज्यों में कार्यान्वयन की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए आवधिक रूप से भेजा जा सकता है। यह सूचित किया गया था कि मंत्रालय में स्टाफ की कमी के कारण राज्यों हेतु इस प्रकार के मिशानों में तैनाती करना संभव नहीं था, इसके बजाए वे इस कार्य को करने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों की तैनाती कर रहे थे। तथापि, 2009-10 से 2013-14 तक की अवधि के दौरान कोई क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए थे तथा ऐसी प्रथम नियुक्ति केवल फरवरी 2014 में ही की गई थी। इस प्रकार, यह योजना मंत्रालय के प्रत्यक्ष अनुश्रवण के बिना ही प्रक्रामी रूप से जारी रही।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कार्य की देखरेख करने के लिए रिक्त पदों के प्रति सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्त किया तथा इस प्रकार, मंत्रालय में स्टाफ की कोई कमी नहीं थी।

7.8 राष्ट्रीय स्तर अनुश्रवण (रा.स्त.अ.)

ग्रामीण विकास मंत्रालय[6] ने, अपने कार्यक्रमों के स्वतंत्र अनुश्रवण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए, जनलाभ हेतु स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के इच्छुक सम भाव वाले वरिष्ठ स्तर के सेवानिवृत्त सिविल/रक्षा सेवा अधिकारियों तथा अकादमी को शामिल करके राष्ट्रीय स्तर अनुश्रवण की एक व्यापक प्रणाली तैयार की।

---

[6] पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय 12 जुलाई 2011 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक भाग था तथा इसे 13 जुलाई 2011 से एक पृथक मंत्रालय बनाया गया था, तथापि, वह आज तक रा.स्त.मॉ. की सेवाओं का उपयोग कर रहा था।

रा.स्त.मां. से एक तिमाही में लगभग 150 जिलों का दौरा करना अपेक्षित था जिससे एक वर्ष में देश के सभी जिले आवृत हो जाएं।

विशेष अनुश्रवण दौरे, जो कि वर्ष के आरंभ में नियोजित किए जाने थे एक कार्यक्रम के गहन आच्छादन अथवा एक कार्यक्रम की निश्चित विशिष्ट विशेष मदों हेतु प्रत्येक वर्ष संचालित किए जाने अपेक्षित थे।

रा.स्त.मॉ द्वारा 2009-10 से 2013-14 के दौरान किए गए योजना के अनुश्रवण की स्थिति निम्न तालिका-7.3 में दी गई है:

तालिका-7.3: रा.स्त.मॉ. द्वारा जिलों का आच्छादन

वर्ष	आवृत किए जाने वाले जिलों की सं.	वास्तव में आवृत किए गए जिलों की सं.	कमी की प्रतिशतता
नियमित अनुश्रवण			
2009-10	590	शून्य	100
2010-11	607	478	21
2011-12	607	शून्य	100
2012-13	607	583	4
2013-14	607	584	4
विशेष अनुश्रवण			
2009-10 से 2012-13	नहीं किया		
2013-14	उ.न.	57	उ.न.

[स्रोत: पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय]

इस प्रकार, रा.स्त.अ. 2009-10 तथा 2011-12 में कार्यक्रम का अनुश्रवण नहीं कर सका तथा अन्य वर्षों में यह कमी 4 से 21 प्रतिशत के बीच थी। उसी तरह, 2009-10 से 2012-13 के दौरान कोई विशेष अनुश्रवण नहीं किया गया था।

रा.स्त.अ. प्रणाली की प्रभाविकता महत्वपूर्ण रूप से मंत्रालय तथा संबंधित राज्यों/जिलों द्वारा उत्साह से की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर निर्भर थी।

चूंकि राज्य, कार्यक्रम की मुख्य कार्यान्वयन एजेंसियां थीं, इन दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों को उपचारी कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को अग्रेषित किया गया था तथा जिला स्तर पर कार्रवाई हेतु जिला प्रशासन को भी भेजा गया था। मंत्रालय के पास तदनुरूपी प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई की कोई सूचना नहीं थी।

7.9 अन्य स्तरों पर अनुश्रवण

7.9.1 निरीक्षण

वरिष्ठ राज्य तथा जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा आधारिक स्तर पर कार्यान्वयन की प्रगति सत्यापित करने तथा यह सुनिश्चित करने कि निर्माणकार्यों का निष्पादन निर्धारित प्रक्रिया तथा विनिर्देशनों के अनुसार था, के लिए नियमित निरीक्षण किए जाने अपेक्षित थे। निरीक्षण दलों को जांच करके, सुनिश्चित करना अपेक्षित था कि निर्माणकार्य मानदण्डों के अनुसार किया गया था, लाभार्थियों का चयन पारदर्शी था, निर्माण के पश्चात शौचघरों का उचित उपयोग किया गया तथा सेनिटरी शौचघरों का किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोग नहीं किया गया था।

यह पाया गया था कि राज्य/ जिला अधिकारी योजना कार्यान्वयन का नियमित रूप से निरीक्षण नहीं कर रहे थे। 11 राज्यों[7] में या तो निरीक्षण नहीं किए गए थे और या आकस्मिक और तदर्थ रूप से किए गए थे। लगभग सभी मामलों में निरीक्षण रिपोर्टें उपलब्ध नहीं थी। आठ राज्यों में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान की गई अभ्युक्तियों के ब्यौरे **अनुबंध -7.2** में दिए गए हैं।

[7] अरूणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हिमाचल प्रेदश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा।

7.9.2 राज्य पुनरीक्षण मिशन

योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक राज्य को एक पुनरीक्षा मिशन, जिसका अध्यक्ष संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी तथा उसमें अन्य सम्बद्ध विभागों जैसे ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, पंचायती राज तथा मानव संसाधन विकास से कम से कम तीन सदस्य तथा स्वच्छता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित संगठनों से स्वतंत्र प्रतिनिधि सम्मिलित हैं, का गठन करना अपेक्षित था। राज्यों को राज्य स्तर पर प्रत्येक जिले में आवधिक रूप से पुनरीक्षा करने के लिए दक्ष लोगों का एक पैनल बनाने का परामर्श भी दिया गया था। ये पुनरीक्षाएं निधियों की अनुवर्ती किश्त जारी करने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करने के लिए अनिवार्य थी।

अभिलेखों की जांच के दौरान यह पाया गया था कि मंत्रालय को, राज्य सरकारों से राज्य पुनरीक्षा मिशन की कोई रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई थी। इसके अतिरिक्त, 12 राज्यों[8] ने, योजना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए राज्य पुनरीक्षा मिशन का गठन तक नहीं किया था।

- राज्य पुनरीक्षण मिशन (रा.पु.मि.) **झारखंड** (2013), **पंजाब** (2000) तथा **तमिलनाडु** (2013) में गठित किए गए थे लेकिन वे मार्च 2014 तक योजना कार्यान्वयन का पुनरीक्षण नहीं कर रहे थे।
- **ओडिशा** में, रा.पु.मि. ने 2010 तक कार्य किया तथा उसके पश्चात् कार्य की राज्य स्तर तथा जिला स्तर परामर्शदाताओं (जि.स्त.प.) द्वारा देखरेख की गई थी। तथापि, यह पाया गया कि सितम्बर 2011 तथा

[8] आन्ध्र प्रदेश (तेलंगाना सहित), छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, उत्तराखंड।

अगस्त 2014 के बीच जि.स्त.प. तैनात किए गए थे तथा जि.स्त.प. के पांच पद अभी तक (सितम्बर 2014) रिक्त थे।

असम तथा **पश्चिम बंगाल** में, जि.पु.मि. संस्थापित किए गए थे लेकिन राज्यों ने यह स्वीकार किया था कि उन्होंने इस प्रकार के मिशन द्वारा की गई पुनरीक्षा की कोई सिफारिश/रिपोर्ट प्राप्त नहीं की थी। इसी तरह 14 राज्य[9] अपने-अपने राज्यों में विशेषज्ञों का पैनल बनाने में विफल रहे।

ओडिशा में, ओ.रा.ज.स्व.मि. ने नवम्बर 2010 में विशेषज्ञों का एक पैनल बनाया। लेकिन पैनल को पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं बनाया गया था क्योंकि दो परियोजना जिलों[10] में 20 सदस्यों में से केवल 2 सदस्यों ने पुनरीक्षा की (फरवरी/अप्रैल 2011) तथा शेष 28 जिलों में विशेषज्ञ पैनल के किसी सदस्य ने एक बार भी पुनरीक्षा नहीं की थी।

7.9.3 परियोजना प्राधिकारियों द्वारा पुनरीक्षा

योजना के दिशानिर्देशों में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न ब्लॉकों में एक तिमाही में कम से कम एक बार कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों के एक दल का गठन करने का प्रावधान है। तथापि, यह पाया गया था कि दस राज्यों[11] में परियोजना प्राधिकारियों ने योजना के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने के लिए विशेषज्ञों के किसी दल का गठन नहीं किया था।

---

[9] आंन्ध्र प्रदेश (तेलगाना सहित), छत्तीसगढ़, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल,

[10] पुरी और बौध्द जिले।

[11] अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, मेघालय, ओडिशा, पंजाब तथा उत्तर प्रेदश।

7.9.4 सामाजिक लेखापरीक्षा

सामाजिक लेखापरीक्षा, स्वच्छता दिवस तथा ग्राम स्वच्छता सभा (ग्रा.स्व.स.) के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर की जाती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत को, मासिक प्रगति दर्ज करने, वैयक्तिक मांग की पहचान करने, मासिक योजना प्रक्षेपित करने, पूर्व स्थिति में पहुंच गए मामलों का पता लगाने तथा प्रोत्साहन राशि के संवितरण, निर्माण, तथा अन्य कार्यों तथा गतिविधियों सहित पूर्व माह में विभिन्न गतिविधियों पर किए गए व्यय का सत्यापन करने के लिए माह के एक विशेष दिन, जिसे 'स्वच्छता दिवस' का नाम दिया जाना था, को निर्दिष्ट करना होता है। इसके अतिरिक्त ग्राम सभा द्वारा विभिन्न मासिक योजनाओं के अंतर्गत की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक छः माह में ग्रा.स्व.स. बुलाई जाती है। यह पाया गया था कि 21 राज्यों[12] में ग्राम पंचायतों ने योजना की प्रगति के बारे में चर्चा करने के लिए स्वच्छता दिवस का आयोजन नहीं किया था। चार राज्यों में यह बहुत कम अवसरों पर आयोजित किया गया था। विवरण **अनुबंध 7.3** में दिए गए हैं।

इसी प्रकार, 18 राज्यों[13] में ग्राम पंचायतें विभिन्न मासिक योजनाओं के अंतर्गत की गई प्रगति की पुनरीक्षा करने के लिए ग्रा.स्व.स. आयोजित करने में विफल रही। कुछ अन्य राज्यों में ग्रा.स्व.स. की आयोजित बैठकों की स्थिति **अनुबंध-7.3** में दी गई है।

---

[12] आन्ध्र प्रदेश (सिरीकाकुलम जिले के अतिरिक्त), असम (2012-14), बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, ओड़िशा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तराखंड़, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल।

[13] असम (2012-14), बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मिर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मैघालय, मिजोरम, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल

7.9.5 विभागीय अनुश्रवण

सं.स्व.अ. परियोजना का अनुश्रवण सभी स्तरों पर किया जाना चाहिए। खंड पं.रा.सं. तथा खंड स्तरीय अधिकारियों को प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रगति की समीक्षा अवश्य करनी चाहिए। जिला पंचायत के मु.का.अ./जि.ज.स्व.स. के सचिव को खंड अधिकारियों के साथ परियोजना की प्रगति की मासिक आधार पर समीक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार, राज्य में ग्रामीण स्वच्छता के प्रभारी सचिव को जिला अधिकारियों के साथ प्रगति की तिमाही समीक्षा करनी चाहिए। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया था कि खंड/पं.रा.सं. स्तरीय अधिकारियों ने प्रगति की समीक्षा करने के लिए योजना-परियोजनाओं का कभी निरीक्षण नहीं किया था। विभिन्न राज्यों में विभागीय अनुश्रवण के ब्यौरे **अनुबंध -7.4** में दिए गए हैं।

अनुशंसाएं:

- **सामाजिक लेखापरीक्षा के अनुश्रवण हेतु एक साधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है जिसके लिए विशेषज्ञों तथा स्वच्छता में विशेषज्ञता एवं अनुभव प्राप्त प्रतिष्ठित गै.स.सं. को कार्य पर लगाने पर विचार किया जा सकता है।**
- **नि.भा.अ. के कार्यान्वयन में कमियों की पहचान करने तथा स्थिति की जांच करने के लिए मूल्यांकन अध्ययन सामान्य रूप से किए जाने चाहिए।**